

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची-834002.

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- अररिया जिलान्तर्गत NH-327 E अररिया-रानीगंज (99.00-101.00 कि०मी०) पथांश पर ROB एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 4.05 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार कि अधिसूचना संख्या-190 (ई०) दिनांक-16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित ROB एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 4.05 हे० है। प्रस्तुत परियोजना निर्माण के क्रम में 345 वृक्षों के पातन का आकलन किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम सं०	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0-60 CM तक	60 CM से अधिक
1	330	15

प्रस्तुत प्रस्ताव का वानस्पतिक घनत्व 0.2 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा निर्गत कुल- 4.048583 हे० वन भूमि अपयोजन के लिए FRA, 2006 प्रमाण-पत्र मूल रूप में संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल-4.05 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 8.10 हे० अर्थात् 10.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, अररिया के फारबिसगंज प्रक्षेत्र अंतर्गत हसनपुर PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण के निमित्त कुल-37,89,169/- (सैंतीस लाख नवासी हजार एक सौ उन्हत्तर रुपये) का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का

Geo-referenced नक्शा, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पातित होने वाली वृक्षों की गणना सूची एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 4.05 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 25,35,300/- (पच्चीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 4.05 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये अररिया वन प्रमंडलन्तर्गत 10.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि हसनपुर सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रु० 37,89,169/- (सैंतीस लाख नवासी हजार एक सौ उनहत्तर रुपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/- रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि-54/2018...../प0व0, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक: वन भूमि-54/2018...../प0व0, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

30/7/18

(सुरेन्द्र सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।